अनुदान संख्या 99 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 99 - MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	22556,02,00	22556,11,00	20507,13,53	-2048,97,47
पूरक	Supplementary	9,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2006,41,33
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		38,65,00	13,31,74	-25,33,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				25,33,26

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	158511.00	323008.82	318769.06	-4239.76
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	164494.82			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2236" पोषण	Major Head "2236" Nutrition				
मू.	O.	1436.00			
			1211.73	1211.72	-0.01
पु.	R.	-224.27			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	221055.00			
पू.	S.	3.00	3.00	..	-3.00
पु.	R.	-221055.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1822922.00			
पू.	S.	1.00	1711629.30	1711628.30	-1.00
पु.	R.	-111293.70			
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants -in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	47471.00			
पू.	S.	2.00	14823.10	14821.09	-2.01
पु.	R.	-32649.90			

(I) ₹245658.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹3.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ग्यारह मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹245658.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹3.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilised in eleven cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" –

(i) "अम्ब्रेला आईसीडीएस" – ₹184302.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹670.00 लाख;

(ख) "समाज कल्याण – महिला कल्याण" –

(i) "महिला सशक्तिकरण तथा सुरक्षा मिशन" – ₹6526.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य स्कीमें" – ₹4000.00 लाख;

(iii) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹660.00 लाख;

(ग) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(i) "समाज कल्याण – बाल कल्याण" – ₹10000.00 लाख;

(ii) "राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम" – ₹500.00 लाख;

(iii) "समाज कल्याण – महिला कल्याण" – ₹2700.00 लाख; और

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹11700.00 लाख।

(A) Major Head "2552"-

(a) "Social Welfare-Child Welfare"-

(i) "Umbrella ICDS" - ₹184302.00 lakhs (including token supplementary of ₹2.00 lakhs);

(ii) "Support to Autonomous Bodies"- ₹670.00 lakhs;

(b) "Social Welfare-Women's Welfare"-

(i) "Mission for Empowerment and Protection for Women"- ₹6526.00 lakhs (including token supplementary of ₹1.00 lakh);

(ii) "Other Schemes funded from Nirbhaya Fund"- ₹4000.00 lakhs;

(iii) "Support to Autonomous Bodies"- ₹660.00 lakhs;

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Social Welfare - Child Welfare"- ₹10000.00 lakhs;

(ii) "Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls" - ₹500.00 lakhs;

(iii) "Social Welfare - Women's Welfare"- ₹2700.00 lakhs; and

(d) "Tribal Area Sub-Plan - Integrated Child Development Services (ICDS)"- ₹11700.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – मातृत्व लाभ स्कीम" – ₹23800.00 लाख; और

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Maternity Benefits Scheme"- ₹23800.00 lakhs; and

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – मातृत्व लाभ स्कीम" – ₹800.00 लाख।

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Maternity Benefits Scheme"- ₹800.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से 'मातृत्व लाभ स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसक्रो लेखे में अंतरण के लिए निधियां मुहैय्या कराए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to providing the funds for transfer to ESCROW Account of the States/UTs under the scheme of 'Maternity Benefit Scheme' with the approval of Ministry of Finance.

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads:-

(का) "बाल कल्याण – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹1418.12 लाख की बचत (₹6030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नया रायपुर में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाने के लिए स्थाई वित्त समिति का अनुमोदन न मिलने, अध्ययन परियोजनाओं को मूर्त रूप न दिए जाने तथा कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Child Welfare - Support to Autonomous Bodies"- saving of ₹1418.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6030.00 lakhs) was due to non-approval of Standing Finance Committee for setting up of Regional Centre at Naya Raipur, non-materialisation of study projects and receipt of less proposals.

(खा) "महिला कल्याण"

(B) "Women's Welfare"-

(क) "महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण स्कीम" – ₹12059.73 लाख की बचत (₹43665.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला शक्ति केंद्रों को देरी से अनुमोदन मिलने, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तथा वन स्टॉप सेंटरों के लिए कम

(a) "Scheme for Empowerment and Protection for Women"- saving of ₹12059.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43665.00 lakhs) was due to late approval of Mahila Shakti Kendras, non-receipt of utilisation certificates and requirement of

निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹481.99 लाख की बचत (₹5940.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पूर्ण प्रस्तावों की कम संख्या में प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति तथा मुकदमों के समाधान न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2236" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – खाद्य और पोषण बोर्ड और इसके क्षेत्रीय कार्यालय" – के अंतर्गत ₹224.28 लाख की बचत (₹1436.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति/आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए अनुदान को अनुमोदन न मिलने तथा कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹84400.66 लाख की बचत (जुलाई, 2017 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1291437.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से 'मातृत्व लाभ स्कीम के अंतर्गत राज्यों के एसक्रो लेखे में अंतरण के लिए निधियां मुहैय्या कराए जाने के कारण हुई।

(खा) "महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा मिशन" – ₹23679.89 लाख की बचत (₹38086.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य में "महिला शक्ति केंद्र" नाम की नई घोषित स्कीम के आंशिक कार्यान्वयन, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

less funds towards setting up of One Stop Centres.

(b) "Support to Autonomous Bodies" - saving of ₹481.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5940.00 lakhs) was due to receipt of less number of complete proposals, less tours undertaken, receipt of less medical claims and non-settlement of court cases.

(III) Under Major Head "2236" - "General - Direction and Administration - Food and Nutrition Board and Its Regional Offices (FNB)"- saving of ₹224.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1436.00 lakhs) was due to non-approval of grant of financial upgradation under assured career progression/modified assured career progression scheme by Department of Personnel and Training and receipt of less medical claims.

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/ Share"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Integrated Child Development Services (ICDS)"- saving of ₹84400.66 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1291437.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2017) was due to providing the funds for transfer to ESCROW Account of the States under the scheme of 'Maternity Benefit Scheme' with the approval of Ministry of Finance.

(B) "Mission for Empowerment and Protection for Women"- saving of ₹23679.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38086.00 lakhs) was due to partial implementation of newly announced scheme "Mahila Shakti Kendra" in some States, non-receipt of utilisation certificates from the State Governments and receipt of less number of proposals from the State Governments.

(V) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹25138.24 लाख की बचत (जुलाई, 2017 तथा दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹37847.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम के देरी से अनुमोदन मिलने, पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "महिला सशक्तीकरण और महिला सुरक्षा मिशन" – ₹6569.05 लाख की बचत (₹6626.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "निर्भया निधि से वित्तपोषित अन्य स्कीमें" के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण तथा वित्तपोषण पद्धति में बदलाव की वजह से हुई।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आँगनवाड़ी सेवाएं" – ₹139.09 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹197452.12 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2017 तथा दिसंबर, 2017 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" –

(क) "बाल कल्याण" –

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share"-

(a) "Integrated Child Development Services"- saving of ₹25138.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹37847.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017) was due to late approval of the scheme, availability of unspent balance of previous year and receipt of less proposals from the Union Territory Administrations.

(b) "Mission for Empowerment and Protection for Women"- saving of ₹6569.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6626.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Ministries/Departments for "Other Schemes funded from Nirbhaya Fund" and change in funding pattern.

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Anganwadi Services" - saving of ₹139.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years with the UT Administrations.

2.(I) The above savings were partly (₹197452.12 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in July, 2017 and December, 2017 - under the following major heads: -

(A) Major Head "2235"- "Social Welfare" -

(a) "Child Welfare"-

(i) "राष्ट्रीय लोक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान" – ₹753.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹752.50 लाख था।

(ii) "एकीकृत बाल विकास स्कीम" – ₹156420.24 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹153722.33 लाख था।

(ख) "महिला कल्याण – केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड" – ₹244.58 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹244.07 लाख था।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – एकीकृत बाल विकास सेवाएं" – ₹19557.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹19556.90 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आंगनवाड़ी सेवाएं" – ₹9299.67 लाख।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आंगनवाड़ी सेवाएं" – ₹11177.63 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – किशोरियों के लिए स्कीम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹108.55 लाख का अधिक व्यय (₹9300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईः–

(i) "National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)"- ₹753.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹752.50 lakhs.

(ii) "Integrated Child Development Scheme"- ₹156420.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹153722.33 lakhs.

(b) "Women's Welfare - Central Social Welfare Board (CSWB)" - ₹244.58 lakhs. Actual excess, however, was ₹244.07 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Integrated Child Development Services"- ₹19557.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19556.90 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes"-

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Anganwadi Services"- ₹9299.67 lakhs.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Anganwadi Services" - ₹11177.63 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for Adolescent Girls"- excess of ₹108.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	3865.00	1331.74	1331.74	..
पु.	R.	-2533.26			

(I) "सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण – पोषण में एकीकृत शिक्षा" – ₹2533.26 लाख का अधिक व्यय (₹3865.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यो की धीमी गति के कारण हुई।

(I) Under "Social Welfare - Child Welfare - Integrated Education in Nutrition"- saving of ₹2533.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3865.00 lakhs) was due to slow pace of construction activities of food testing labs.